रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 अक्तूबर, 1988/7 कार्तिक, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 1988

क्रमांक एल०एल०आर० (डी) (6) 10/88-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 अक्तूबर, 1988 को अनुमोदित

2711-राजपत्र/88—29-10-88—1,304.

मूल्य : 20 पैसे।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1988 (1988 का 7) को वर्ष 1988 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,/
हस्ताक्षरित-
सचिव (विधि) ।

1988 का अधिनियम संख्यांक 13.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1988

(राज्यपाल द्वारा तारीख 26 अक्तूबर, 1988 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 8) में और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

(2) यह जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6-ख का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ख के अन्त में, निम्नलिखित नई उप-धारा (6) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— 1971 का 8

"(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन पैन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पैन्शन नहीं ले सका, तो,—

(i) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति/पत्नी; या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं है, तो उसकी अवयस्क सन्तान वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त;

उस राशि के बराबर पैन्शन जो ऐसे व्यक्ति ने पैंशन के रूप में प्राप्त की होती यदि वह दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहत्तर रुपये की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, लेने का हकदार होगा/होगी :

परन्तु तीन सौ पचहत्तर रुपए की उच्चतर सीमा इस उप-धारा के अधीन जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पैन्शन के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां इस उप-धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पैन्शन के हकदार हों, तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पैन्शन को बराबर हिस्सों में लेंग।"

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Sadasyon ke Bhatte aur Pension) (Sanshodhan) Adhinyam*, 1988 (1988 *ka Adhinyam Sankhyank* 7) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

Act No. 13 of 1988.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 1988

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH OCTOBER, 1988)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall come into force and shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of January, 1986.

Amendment of section 6-B.

2. At the end of section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, the following new sub-section (6) shall be added, namely :— **8 of 1971**

"(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) but for his death before the 31st day of December, 1976, he could not draw such pension,—

(*i*) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries ; or

(*ii*) if such person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to the sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy-five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy-five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares."

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखण सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित